फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

कलुआराम बनाम लो.सू.अधि. विकास अधिकारी, पं0 स0 बयाना भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 57 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
01.08.2023	प्रार्थी/अपीलान्ट कलुआराम पुत्र हरीराम निवासी ग्राम शेखपुर, ग्राम पंचायत खेरली गडासिया भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना जिला भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना जिला भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण आर.टी.आई. के तहत इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बयाना जिला भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रधान, पंचायत समिति बयाना, भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षमे प्रधान, पंचायत समिति बयाना जिला भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। Sd/- जिला कलक्टर भरतपुर	574 8/8/23 मूल अपील वापस की